भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2697

जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

अवैध रूप से हस्तांतरित धन की निकासी के लिए समयगत प्रतिबंध

2697. श्री अनिल यशवंत देसाई:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्राप्त धन की निकासी की निगरानी और विनिमयन करने के लिए धोखाधड़ी से अवैध रूप से किसी बैंक खाते में स्थानांतरित की गई धनराशि की निकासी या किसी अन्य खाते में स्थानांतरण के लिए सरकार समयगत प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे व्यक्तियों तथा अन्य विभिन्न खातों की पहचान करने के क्या तरीके और प्रक्रिया हैं, जहां ऐसी धनराशि स्थानांतरित की जाती है;

(ग) क्या बैंक खातों पर लगाए गए इस प्रतिबंध से धोखाधड़ी और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): सरकार द्वारा धोखाधड़ी से प्राप्त राशि के आहरण अथवा ऐसे राशि को किसी अन्य खाते में अंतरित करने के लिए समय सीमा लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालाँकि,आरबीआई ने 15 जुलाई, 2024 को विनियमित संस्थाओं के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन संबंधी मास्टर निर्देश जारी किया हैं जो गैर-केवाईसी अनुपालन और मनी म्यूल खातों आदि में लेनदेन/असामान्य गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतों (ईडब्लूएस) से संबंधित रूपरेखा प्रदान करता है। इसके अलावा, विशेष रूप से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और एप्लिकेशन के माध्यम से लेनदेन की निगरानी के लिए पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए डेटा विश्लेषण और बाज़ार आसूचना इकाई की आवश्यकता को अनिवार्य किया गया है।

*****